कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 4168 / 14—1(49462 / 2020),आगरा, दिनांक, 29 ,मार्च, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :— जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी0 एस0 टी0 पी0 के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— उ0प्र0 शासन लखनऊ का पत्रांक—पी—53 / 81—2—2023—800(30) / 2023 दिनांक 21.02.2023 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 2729 / 11—सी दिनांक 23.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर बिन्दुवार आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 4706 / 14—1 दिनांक 25.03.2023 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर आख्या निम्नवत् है :—

S.No	Observation	Reply
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ—11 पर प्रभागीय निदेशक की संस्तुति तिथि अंकित नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—11 पर संस्तुति तिथि अंकित कर दी गयी है। संशोधित प्रपत्र संलग्न है।
2.	परियाजना में ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले समतुल्य गैर वनभूमि लिया जायेगा अथवा नहीं स्पष्ट किया जाये।	प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वनभूमि 1.00 हे0 से कम है एंसी स्थिति में इतनी कम भूमि लेने पर भूमि के रख रखाव करना सम्भव नहीं होगा। अतः समतुल्य भूमि लिये जाने का कोई आचित्य प्रतीत नहीं होता है।
3.	प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि की जिलाधिकारी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न है।
4.	प्रस्तावित स्थल ताज वन ब्लाक के अन्तर्गत है। ताज महल जो एक एतिहासिक मकबरा है, में प्रस्तावित स्थल की दूरी	प्रस्तावित 07 डी0एस0टी0पी0 में से केवल जालमा डी0एस0टी0पी0 ताज वन ब्लाक के अन्तर्गत है जो ताज महल से सडक से से दूरी 2 किमी0 एवं एरियल दूरी लगभग 01 किमी0 है। अन्य डी0एस0टी0पी0 ताज वन ब्लाक के अन्तर्गत नहीं आते है।

प्रस्ताव की आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 4168 / समदिनांकित ।

1—प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्रांक 4706 / 14—1 दिनाकं 25.03.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2—प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

OS/Draftman/letter-22